न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 06/2017 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— रविन्द्रसिंह पुत्र स्व. हेमसिंह जाति राजपूत निवासी मगरासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू।

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ जिला चूरू।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री सुनील भाटी — अभिभाषक अपीलांट

श्री विष्णु स्वामी — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 09.10.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ जिला चूरू के आदेश दिनांक 18.02.2015, जिसमें अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 116/97 को निरस्त किया गया, के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के नाम से टोपीदार बन्दूक का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 116/97 बना हुआ है, जो दिनांक 31.12.2014 तक नवीनीकृत है। अपीलांट ने उक्त लाईसेंस को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पुलिस थाना, सांडवा से रिपोर्ट ली गई। पुलिस थाना सांडवा की रिपोर्ट दिनांक 5.1.15 में अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण मु.सं. 13/30.8.12 अन्तर्गत धारा 307, 341, 323, 325 आईपीसी में चालान दिनांक 30.10.12 पेश होने एवं मु.नं. 8/4.1.13 अन्तर्गत धारा 498ए आईपीसी में चालान होकर दोनों मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन होने का उल्लेखत करते हुए नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। पुलिस रिपोर्ट को आधार मानते हुए उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ ने अपने आदेश दिनांक 18.2.15 से अपीलांट का उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री सुनील भाटी ने बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज है। अपीलांट शांति प्रिय नागरिक है। अपीलांट ने अपनी टोपीदार बन्दूक का कभी दुरूपयोग नहीं किया है। अपीलांट के विरूद्ध कभी भी आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अपीलांट अपने लाईसेंस का नियमित रूप से नवीनीकरण करवाता आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने पुलिस थाना सांडवा की रिपोर्ट को आधार मान कर आदेश पारित किया है। उक्त जांच रिपोर्ट की कोई समीक्षा नहीं की है। केवल पुलिस की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश पारित किया गया है जो काबिले खारिज है। अपीलांट के विरूद्ध अपीलांट की पत्नि श्रीमती रमलेश ने एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा कर पुलिस से साज–बाज कर अपीलांट के विरूद्ध धारा 307 आईपीसी मेंय चालान करवा दिया। उक्त धारा के संबंध में ए.डी.जे. सुजानगढ द्वारा दिनांक 23.1.14 को चार्ज लगाया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने माननीय उच्च न्यायालय में एसबी रिट नं. 161/14 माननीय उच्च न्यायालय में पेश की, जिसमें दिनांक 29.5.14 को रिट स्वीकार कर उक्त धारा 307 को तोड़ दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने इसी धारा का आधार लेते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.2.15 पारित किया है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहा.लोक अभियोजक ने बहस करते हुए कथन किया कि पुलिस थाना सांडवा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दो आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें धारा 307 भी शामिल है। पुलिस रिपोर्ट में अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की टिप्पणी की गई है, जिसका आधार लेते हुए उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ, जिला चूरु ने आदेश दिनांक 18.02.15 द्वारा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण अनुसार अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने नाम से जारी टोपीदार बन्दूक का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 116/97 का नवीनीकरणी करवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ

के समक्ष दिनांक 2.12.14 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर पुलिस थाना साण्डवा जिला चूरु ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 5.1.15 में आवेदक के खिलाफ मुकदमा सं0 13 दिनांक 30.8.12 अन्तर्गत धारा 307, 341, 323, 325 आईपीसी में चालान दिनांक 30.10.12 पेश होने एवं मु.नं. 8/4.1.13 अन्तर्गत धारा 498ए आईपीसी में चालान होकर दोनों मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन होने का उल्लेखत करते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गयी । थानाधिकारी साण्डवा जिला चूरु की उक्त रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ द्वारा अपीलान्ट टोपीदार बन्दूक लाइसेंस सं0 116/97 निरस्त किया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने पुलिस थाना सांडवा की रिपोर्ट की कोई समीक्षा नहीं कर केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश पारित किया गया है। न्यायालय के अनुसार अपीलान्ट के विरुध्द आईपीसी. की गम्भीरतम धाराओं के अन्तर्गत फौजदारी मुकदमा दर्ज है, साथ ही धारा 498–ए के अन्तर्गत अन्य मुकदमा दर्ज है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ द्वारा पुलिस रिपोर्ट एवं व्यापक लोक शांति और कानून व्यवस्था के मध्यनजर अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं कर उसे खारिज किया गया है। हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन/हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ जिला चूरु का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2015 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 09.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर